तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख आदेश जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मि0नं0 1172/दावा/2015(समेकित वाद सं0 766/17) गजरीबाई बनाम सीताराम

25/09/2018

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित है। वादनी गजरीबाई ने आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत निम्नप्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है–

1. यह कि वादिया गजरीबाई के वाद सं0 1172/15(315/2009) में प्रतिवादी 11 रामप्रसाद ने स्टॉम्प पर विक्रय पत्र दिनांक 22.10.2001 के आधार पर काउन्टर क्लेम पेश किया है।
2. यह कि आदेश 8 नियम 6(A)(4) के अनुसार काउन्टर क्लेम को वाद पत्र के रूप में माना जावेगा और उसे वही नियम लागू होंगे जो वाद पत्रों को लागू होते है। इसलिये काउन्टर क्लेम आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत विचारणीय है।
3. यह कि प्रतिवादी 11 रामप्रसाद ने रामप्रसाद बनाम गजरीबाई वाद इसी न्यायालय में पेश किया जो इसी पत्रावली में (Consolidate) समेकित किया गया है।
4. यह कि प्रतिवादी 11 ने स्वंय के द्वारा प्रस्तुत वाद में भी विक्रय पत्र 22.10.2001 का आधार दिया है।
5. यह है कि वादग्रस्त विक्रय पत्र 22.10.2001 अपर्याप्त स्टॉम्प पर है और पंजीकृत भी नहीं है। इसके अलावा उसे राविदा की पालना हेतु सिविल न्यायालय में वाद पेश करना चाहिये था।
6. यह कि काउन्टर क्लेम और समेकित वाद विधि विरूद्ध होने से चलने योग्य नही है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गजरीबाई बनाम सीताराम वाद संख्या 1172/15 में प्रतिवादी 11 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज किया जावे। इसके अलावा इसी वाद के समेकित वाद बउनवान रामप्रसाद बनाम गजरीबाई को भी खारिज किया जावे।

प्रतिवादी रामप्रसाद ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र मद नं0 1 काउन्टर क्लेम करना स्वीकार है, जिसका मुख्य आधार स्टॉम्प दिनांक 22.10.2001 नही होकर मात्र विक्रय राशि अदा करना तथा विधिक कब्जा काश्त का प्रमाण है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 कानूनी है, जिसे तर्क संगत रूप से वर्णित किया गया है। दावा व प्रतिदावा में काफी कानूनी भिन्नता है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 सही है, स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 गलत है, अस्वीकार है। विक्रय पत्र मात्र सम्पार्शिकी साक्ष्य के रूप में है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 व 6 गलत है, अस्वीकार है। इनका प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी/वादी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि वादग्रस्त आराजी में गजरीबाई का 1/7 हिस्सा था। प्रति0नं0 11 रामप्रसाद ने अपंजीकृत स्टाम्प 22.10.2001 को 6000/– रू0 में गजरीबाई व रामलाल से जमीन खरीदने के आधार पर दावा एवं प्रतिदावा किया है। इन्होने अपंजीकृत स्टॉम्प के आधार पर दावा किया है, जो पूरी स्टॉम्प ड्यूटी पर आलेखित नहीं है, जिसके संबंध में श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को नही है। यह राविदा की पालना के लिये सिविल न्यायालय में जावे। प्रतिदावा भी वाद के रूप में ही होता है। अतः उस पर भी 7–11 लागू होता है। यह अतः इनका दावा व प्रतिदावा चलने योग्य नहीं है। इसे खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 चलने योग्य नहीं है। वाद व प्रतिवाद पत्र भिन्न भिन्न है वाद, प्रतिवाद का कारण होता है। वाद में तनकीयात कायम हो चुकी है। इस स्तर पर वाद का निस्तारण नहीं हो सकता। इन्होने प्रतिदावा के जवाब में कोई विरोध/आपत्ति नहीं की है। वादी/खातेदार द्वारा निष्पादित बैनामा से हमारा आराजी पर कब्जा स्पष्ट है। निरंतर 12 वर्ष से अधिक बेदखल रहने पर खातेदारी अधिकार विलोपित हो जाते हैं। साविक रेकार्ड के अनुसार खातेदार नारायणपुरी के तीन औलाद प्रभूलाल, मांगीलाल, जानकीलाल होने से इस आराजी में प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा होता है तथा जानकीलाल के 7 औलाद होने से प्रत्येक का 1/21, 1/21 हिस्सा बनता है। इस प्रकार वादनी गजरीबाई का 1/21 हिस्सा बनता है किन्तु इसने इन्द्राज दुरूस्ती कराये बिना ही 1/7 हिस्से का बैचान संग्रामसिंह कर दिया, यह बैचान शून्य घोषित है। इनका जैरकार वाद माननीय न्यायालय आर0ए0ए0 कोटा से रिमाण्ड होकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतू आया है, जिसमें अपीलीय न्यायालय के निर्देशों की पालना की जावे। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी रिबीटल बहस में प्रकट किया कि इनका दावा इन्दाज दुरूस्ती का नहीं है। इनके दावे एवं प्रतिदावे का मुख्य आधार तथा कथित बैनामा दि0 22.10.2001 है जो पंजीकृत नहीं है और न ही पूरी स्टॉम्प ड्यूटी पर आलेखित है। अपंजीकृत दस्तावेज के संबंध में सुनवाई का अधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। हमारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी रामप्रसाद का वाद एवं प्रतिदावा खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रति0नं0 2 संग्रामसिंह ने अपनी बहस में प्रकट किया कि हमने ग्राम पिपलाज की खाता सं0 531 की 11 किता की 34.18 बीघा आराजी में से गजरीबाई का 1/7 हिस्सा दिनांक 12.07.2017 को रजिस्टर्ड बैनामा से क्रय कर आराजी पर कब्जा प्राप्त किया है। प्रतिवादी रामप्रसाद के वाद एवं प्रतिदावा का आधार अपंजीकृत बैयाननामा दिनांक 20.10.2001 है, जिसका श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 7-11 स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी रामप्रसाद का प्रतिदावा एवं समेकित दावा खारिज किया जावे।

हमने प्रार्थना-पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रतिवादी रामप्रसाद के समेकित वाद सं0 766/12 रामप्रसाद बनाम गजरीबाई एवं वाद सं0 1172/15 गजरीबाई बनाम सीताराम में प्रस्तुत प्रतिदावा का मुख्य आधार रामा पुत्र रामगोपाल एवं गजरीबाई बेवा रामगोपाल जाति गोस्वामी निवासी पिपलाज द्वारा दिनांक 22.10.2001 को रामप्रसाद पुत्र जानकीलाल जाति गोस्वामी निवासी पिपलाज के पक्ष में 10/- रू0 के स्टॉम्प पर निष्पादित बैनामा है। इस बैयाननामें में ग्राम पिपलाज की खाता सं0 नया 433 पुराना 416 की ख0नं0 1325 रकबा 13.04 बीघा जिन्स बारानी शामलाती में से विक्रेतागण का सम्पूर्ण हिस्सा 1/7 का हक काश्त विक्रय किया जाना अंकित है। साथ ही इसमें आगे आलेखित किया गया है कि उक्त खाते की शामलाती खाते की आराजी में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 जिसके तहत 3.00 बीघा अन्दाजिया भूमि बनती है, को राजी खुशी से अपने शामलाती व सहखातेदार श्री रामप्रसाद को 60000/- रू0 में बैचान कर दी है तथा प्रतिफल की समस्त राशि 60000/- रू0 एक मुश्त क्रेता रामप्रसाद से नकद नोट के रूप में गवाहान के सामने प्राप्त करके आराजी बैचान शुदा पर स्थायी रूप से कब्जा मालिकाना तौर पर दे दिया है। इस बैया-नामा में यह भी आलेखित किया गया है कि यह विक्रय पत्र निम्न शर्तों के प्रतिपालन पर प्रमाण स्वरूप सम्पादित किया जाता है :-

1. इस पर किसी प्रकार का कर भार प्रभार बकाया नहीं है।
2. किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विवादित नहीं है।
3. इस विक्रय पत्र का कोई शब्द संदिग्ध व भ्रामक नहीं है।
4. यह कि हम मृतक रामगोपाल जी का पौती नामान्तकरण खुलवाकर आराजी को खाते बंधवाने को अधिकृत होंगे। खर्चा क्रेता का होगा।
5. यह कि जमाने की बदलती हुई परिस्थिति व हमारे की बदनियती के कारण आपके पक्ष में बाजार भाव बढ़ जाने से बैनामा पंजिन कराने से मुकरजावे तो आपको 60000/- के मुकाबले 300000/- अक्षरे तीन लाख रूपये बतौर क्षतिपूर्ति देने को उत्तरदायी रहेंगे और जब तक यह क्षति पूर्ति राशि 300000/-रूपये आपको अदा नहीं कर देते तब तक उक्त हमारे खाते की यह बैचान की जाने वाली जमीन 3.00 बीघा आपके कब्जे काश्त में रहेगी व हम किसी को बैचान नहीं करने को बाध्य रहेंगे।
6. यह हमारे हिस्से की 3.00 बीघा जमीन क्रेता श्री रामप्रसाद के हिस्से की आराजी से मिली हुई है।

इस प्रकार उपरोक्त बैनामा दिनांक 22.10.2001 सशर्त है एवं पंजीकृत नहीं है और न ही पूरी स्टॉम्प ड्यूटी पर निष्पादित है। रामप्रसाद दावा एवं प्रतिदावा खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा का है जिसका मुख्य आधार उपरोक्त अपंजीकृत बैनामा है, जिसके अनुसार इनको इस न्यायालय से खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। तथाकथित बैनामा सशर्त है, ऐसे में संविदा की पालना हेतु इनको सिविल न्यायालय में वाद पेश करना चाहिये था। इनका वाद दावा एवं प्रतिदावा चलने योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी/वादनी का प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 बखूबी साबित है।

वादनी गजरीबाई का जैरकार वाद शामलाती खाते की आराजी के विभाजन का है। रामप्रसाद बनाम गजरीबाई समेकित वाद में प्रस्तुत अपने जवाबदावा में वादनी गजरीबाई यह स्वीकार करती है कि उसने वादग्रस्त आराजी में स्थित अपने सम्पूर्ण 1/7 हिस्से की आराजी का बैचान संग्रामसिंह प्रति0नं0 2 को कर कब्जा सौंप दिया है। इस बैचान को प्रतिवादी नं0 7 रामप्रसाद भी अपने वाद में स्वीकार करता है। चूँकि वादनी वादग्रस्त आराजी में स्थित अपने सम्पूर्ण 1/7 हिस्से का बैचान कर अपने अधिकार समाप्त कर चुकी है। ऐसे में वादनी का

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner

रीख क्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विभाजन का यह वाद चलने योग्य नहीं है। बैचान संग्रामसिंह प्रति0नं0 2 को कर कब्जा सौंप दिया है। इस बैचान को प्रतिवादी नं0 7 रामप्रसाद भी अपने याद में स्वीकार करता है। चूँकि वादनी वादग्रस्त आराजी में स्थित अपने सम्पूर्ण 1/7 हिस्से का बैचान कर अपने अधिकार समाप्त कर चुकी है। ऐसे मे वादनी का विभाजन का यह वाद चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा वाद सं0 1172/2015 गजरीबाई बनाम् सीताराम में प्रस्तुत प्रति0नं0 7 रामप्रसाद का प्रतिदावा एवं इसके समेकित वाद सं0 766/2017 रामप्रसाद बनाम् गजरीबाई खारिज किया जाता है। साथ ही वादनी गजरीबाई द्वारा अपने हिस्से की आराजी का बैचान कर दिये जाने से इसका विभाजन का वाद सं0 1172/2015 गजरीबाई बनाम् सीताराम भी खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

निर्णय आज दिनांक 25/09/2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner